पंजाब विधि अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक 4)

[28 मार्च, 1872]

यह घोषणा करने के लिए कि कतिपय नियमों, विधियों और विनियमों में से किन-किन को पंजाब में विधि का बल प्राप्त है और अन्य प्रयोजनार्थ अधिनियम

उद्देशिका—कतिपय नियम, विधियां और विनियम, जो इससे पूर्व पंजाब के लिए बनाए गए थे और जिन्होंने [1]इंडियन कौंसिल ऐक्ट, 1861 (24 और 25 विक्टोरिया अ० 67) की धारा 25 के उपबंधों के अधीन विधि का बल अर्जित कर लिया है; और यह घोषित करना समीचीन है कि उक्त नियमों, विधियों और विनियमों में से कौन-कौन से इसके पश्चात् पंजाब में प्रवृत्त होंगे और यह भी समीचीन है कि उक्त नियमों, आदेशों और विनियमों में से दूसरों को संशोधित, समेकित या निरसित किया जाए; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब विधि अधिनियम, 1872 है ।

2. **स्थानीय विस्तार**—इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है जो [2][1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले पंजाब और दिल्ली राज्यों में समाविष्ट थे] परन्तु यह स्टेटूट 33 विक्टोरिया, अध्याय 3 की धारा 1 के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के किन्हीं भागों के लिए बनाए गए किन्हीं विनियमों के प्रभाव में परिवर्तन नहीं करेगा; और

प्रारम्भ—यह जून, 1872 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

3. **प्रवृत्त अधिनियमितियां**—इससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनियम, अधिनियम और आदेश [3][उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है,] उस परिमाण तक प्रवृत्त है जो उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट है ।

4. [**निरसित अधिनियमितियां**।] द्वितीय निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 17) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

सिविल न्याय व्यवस्था

[4][5. **कतिपय मामलों में भारतीय विधि के अनुसार विनिश्चय**—उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति, सगाई, विवाह, विवाह-विच्छेद, मेहर, दत्तक-ग्रहण, संरक्षकता, अवयस्कता, जारजत्व, कौटुम्बिक संबंध, विल, वसीयत, दान, विभाजन या किसी धार्मिक प्रथा या रिवाज से संबंधित प्रश्न में विनिश्चय का नियम निम्नलिखित होगा:—

(क) संबंधित पक्षकारों को लागू होने वाली कोई रुढ़ि जो कि न्याय, साम्या या शुद्ध अंतःकरण के प्रतिकूल नहीं है और इस या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा परिवर्तित अथवा उत्सादित नहीं की गई है तथा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दी गई है ;

(ख) जहां पक्षकार मुसलमान हैं, वहां मुस्लिम विधि, और जहां पक्षकार हिन्दू हैं, वहां हिन्दू विधि, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसी विधि जो किसी विधायी अधिनियमिति द्वारा परिवर्तित अथवा उत्सादित कर दी गई है या वह इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है या कि वह किसी ऐसी रुढ़ि द्वारा उपान्तरित कर दी गई है जो ऊपर निर्दिष्ट है ।]

6. **उन मामलों में विनिश्चय जिनके लिए विशेष रूप से उपबंध नहीं है**—उन मामलों में जिनके लिए अन्यथा विशेष रूप से उपबंध नहीं है न्यायाधीश, न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण के अनुसार विनिश्चय करेगा ।

---

1. 1915 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा निरसित ।
2. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "पंजाब और दिल्ली राज्यों को गठित करते हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "पंजाब और दिल्ली के राज्यों पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1878 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 द्वारा मूल धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस धारा के उपबंध, जहां तक वे मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (1937 का 26) से असंगत हैं, निरसित किए गए, देखिए—1937 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 ।

(सिविल न्याय व्यवस्था। शुफा। भूमि संबंधी डिक्रियां। दिवाला। अवयस्क और प्रतिपाल्य अधिकरण—दाण्डिक न्याय व्यवस्था।)

7. स्थानीय रूढ़ियां और वाणिज्यिक प्रथाएं कब विधिमान्य होंगी—समस्त स्थानीय रूढ़िया और वाणिज्यिक प्रथाएं तब तक विधिमान्य समझी जाएगी जब तक कि वे न्याय, साम्या या शुद्ध अन्तःकरण के प्रतिकूल नहीं हैं, या इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दी गई हैं।

1* * *

8. 8क. से 8ग. [निरसित।][1]

शुफा

9 से 20 तक. पंजाब प्रिएम्पशन ऐक्ट, 1905 (1905 का पंजाब अधिनियम 2) की धारा 2 (1) द्वारा निरसित।

भूमि सम्बन्धी डिक्रियां

21. [**भूमि पर प्रभाव डालने वाली डिक्रियों की प्रतिलिपि जो उपायुक्त को भेजी जाती है।**] पंजाब लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) द्वारा निरसित।

दिवाला

22 से 32 तक. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1907 (1907 का 3) द्वारा निरसित।

33. [**पूर्ववर्ती दिवाला-कार्यवाहियों की व्यावृत्ति।**] संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित।

अवयस्क और प्रतिपाल्य अधिकरण

34 से 38 तक. पंजाब कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, 1903 (1903 का पंजाब अधिनियम 2) की धारा 2 (1) द्वारा निरसित।

दाण्डिक न्याय व्यवस्था

39. 1 जनवरी, 1862 से पूर्व किए गए अपराधों को भारतीय दंड संहिता का लागू होना—भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के उपबंध, अध्याय 6 को छोड़कर, 1 जनवरी, 1862 से पूर्व उस राज्यक्षेत्र में किए गए समस्त अपराधों को लागू होंगे जो राज्यक्षेत्र ऐसा अपराध किए जाने के समय पंजाब की राज्य सरकार के अधीन था:

कतिपय प्रमुखों को प्रदत्त विशेषाधिकारों की व्यावृत्ति—परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा या पंजाब के मामलों के प्रशासन बोर्ड द्वारा पंजाब के कतिपय प्रमुखों (चीफ्स) को प्रदत्त किसी विशेषाधिकार पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी क्षतिपूर्ति या क्षमा पर प्रभाव नहीं डालेगी।

[2][**39क. गांव के चौकीदारों और नगरपालिका के चौकीदारों की पद्धति स्थापित करने और नियम बनाने की शक्ति**—राज्य सरकार अपने प्रशासन के अधीन के राज्यक्षेत्रों के किसी भाग में गांव के चौकीदारों या नगरपालिका के चौकीदारों की पद्धति स्थापित कर सकेगी और इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित बातों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी :—

(क) चौकीदारों के हलकों की सीमाओं का परिनिश्चय;

(ख) चौकीदारों की विभिन्न श्रेणियों का अवधारण और प्रत्येक हलके में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों की संख्या;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के चौकीदारों की नियुक्ति; निलम्बन, पदच्युति और त्यागपत्र;

(घ) ऐसे चौकीदारों के उपस्कर और अनुशासन और उनके ऊपर नियंत्रण और पर्यवेक्षण;

(ङ) किन्हीं शक्तियों का उन्हें प्रदान किया जाना और उनके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना और किसी संरक्षण या विशेषाधिकार का, जिसका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग या उपभोग किया जा सके, उनके द्वारा उपभोग किया जाना ;

---

1. पंजाब डिसेंट आफ जागीर्स ऐक्ट, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 2 द्वारा धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित। धारा 8, 8क, 8ख और 8ग और शीर्षक "जागीरों का अवजनन" को पंजाब जागीर्स ऐक्ट, 1941 (1941 का पंजाब अधिनियम सं० 5) की धारा 13 द्वारा निरसित किया गया।

2. धारा 39क और 39ख के स्थान पर 1881 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा धारा 39क और 39ख प्रतिस्थापित की गई।

(च) पुलिस, स्वच्छता या सांख्यिकी से संबंधित या उनके अपने-अपने हलकों में के ग्राम समुदाय या नगरपालिकाओं के फायदे के लिए ऐसे कर्तव्यों का उनके द्वारा पालन जो कि राज्य सरकार ठीक समझती हैं;

(छ) उनके अपने-अपने हलकों में समाविष्ट गांवों के मुखियाओं या नगरों की नगरपालिका समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे चौकीदारों पर प्राधिकार का प्रयोग और उनको सहायता दिया जाना;

(ज) किसी चौकीदार के हलके में समाविष्ट गांवों के मुखियाओं द्वारा ऐसे चौकीदारों की सहायता के लिए या उसके स्थान पर गांव के चौकीदार के किन्हीं कर्तव्यों का पालन ;

(झ) इस धारा के खण्ड (छ) व (ज) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे गांव के मुखियाओं द्वारा या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समितियों के सदस्यों द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और ऐसे मुखियाओं या सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, गांव के चौकीदार या नगरपालिका के चौकीदार के किसी विशेषाधिकार या संरक्षण का उपभोग ;

(ञ) उस दर का अवधारण जिस पर तथा उस ढंग का अवधारण जिससे चौकीदारों को संदाय किया जाएगा और गांव के चौकीदारों की दशा में उस ढंग का अवधारण जिससे उनके वेतन, उनके उपस्करों के व्यय और गांव की चौकीदार पद्धति से संबंधित अन्य प्रभारों का उपबंध किया जाएगा जो चाहे उस हलके में समाविष्ट गांव में पहले से उद्ग्रहणीय उपस्करों या उपलभ्य निधियों में से हो या ऐसे गांवों में रहने वाले या सम्पत्ति का स्वामित्व रखने वाले या आने-जाने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग पर अधिरोपित धन या वस्तु के रूप में विशेष कर द्वारा हो अथवा अंशतः इन प्रकारों में से एक से और अंशतः किसी दूसरे से हो ;

(ट) गांव के मुखियाओं की सहायता से या उसके बिना और भू-राजस्व की वसूली के लिए उपलभ्य किसी प्रक्रिया द्वारा इस धारा के खण्ड (ञ) के अधीन अधिरोपित किसी कर का संग्रहण और उसका उपयोजन और लेखा-जोखा देने का ढंग; और साधारणतया

(ठ) गांव के चौकीदारों या नगरपालिका के चौकीदारों की पद्धति का दक्षतापूर्ण कार्यकरण :

परन्तु—

प्रथम यह कि गांव के चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में बनाए जाने वाले नियम उस हलके में, जिसमें कि ऐसा चौकीदार नियुक्त किया जाना है, समाविष्ट गांव के मुखियाओं को नामनिर्देशन की शक्ति, जो कि ऐसी रीति से और ऐसी युक्तियुक्त शर्तों के अधीन जो कि इन नियमों द्वारा विहित की जाएं प्रयोग की जानी है, अनुज्ञात करेंगे;

द्वितीय यह कि गांव के चौकीदारों के संबंध में इस धारा के खण्ड (ञ) के अधीन बनाए जाने वाले नियमों के अन्तर्गत उनमें निर्दिष्ट मामलों पर प्रत्येक हलके में समाविष्ट गावों के मुखियाओं के दृष्टिकोण और राय लेखबद्ध करने और उस पर सम्यक् विचार सुनिश्चित करने के उपबंध होंगे ।

39ख. चौकीदारों और मुखियाओं को सहायता करने की बाध्यता—प्रत्येक व्यक्ति गांव के चौकीदार या नगरपालिका के चौकीदार या गांव के मुखिया को, जो कि इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह समस्त सहायता देने के लिए बाध्य है जो कि वह पुलिस अधिकारी को देने के लिए बाध्य है ।

चौकीदार या मुखिया को बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों का बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना—कोई व्यक्ति जो ऐसे चौकीदार या मुखिया द्वारा ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा वह पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी चौकीदार या गांव के मुखिया द्वारा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा ।]

[1][**39ग. सन् 1861 के अधिनियम सं० 5 के अधीन भर्ती किए गए पुलिस के संदाय के लिए स्थानीय कराधान का निदेश देने की शक्ति**—जब कभी राज्य सरकार को यह समीचीन प्रतीत होता है कि किसी ऐसे नगर या गांव का, जो धारा 39क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन यथापरिभाषिक नगरपालिका की सीमाओं या गांव के चौकीदारों के हलकों की सीमाओं के अन्दर समाविष्ट नहीं है, पहरा व निगरानी तथा अन्तर्देशीय पुलिस सेवा के कर्तव्यों का पालन सन् [2]1861 के

1. 1875 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा धारा 39ग से 39छ अंतःस्थापित की गई ।

2. पुलिस अधिनियम ।

अधिनियम सं० 5 के अधीन भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उक्त सेवा का उस प्रकार पालन किया जाएगा और [1]***यह भी निदेश दे सकेगी कि ऐसी सेवा के मद्धे ऐसी सरकार द्वारा तत्समय नियत प्रभार ऐसे नगर या गांव से उद्गृहीत किए जाने वाले करों द्वारा चुकाए जाएंगे ।

39घ. उद्ग्रहण के लिए प्रस्थापित करों की सूचना—जब राज्य सरकार ने धारा 39ग के अधीन यह निदेश दे दिया है कि किसी नगर या गांव में कर उद्ग्रहण किए जाएंगे तब उपायुक्त ऐसे नगर या गांव में उन करों के स्वरूप का जिनके उद्ग्रहण की वह प्रस्थापना करता है, स्पष्टीकरण देते हुए समय-समय पर लोक सूचना जारी कर सकेगा ।

कराधान पर आक्षेप— ऐसे नगर या गांव का कोई निवासी जिसे ऐसे प्रस्थापित कराधान पर आक्षेप हो ऐसी सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिन के अन्दर, अपने आक्षेप उपायुक्त को लिखित रूप में भेज सकेगा ।

उन पर प्रक्रिया—सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् उपायुक्त राज्य सरकार की जानकारी के लिए उसके द्वारा की गई प्रस्थापना की रिपोर्ट भेज सकेगा । ऐसी रिपोर्ट में उसकी प्रस्थापना पर प्रेरित आक्षेपों, यदि कोई हों, और ऐसे आक्षेपों पर उसकी राय का विनिर्दिष्ट उल्लेख अन्तर्विष्ट होगा ।

ऐसा कोई कर तब तक उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी रिपोर्ट पर, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।

39ङ. करों की दर नियत करने की शक्ति—जब ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित कर दिया गया है, तब उपायुक्त इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे, वे दरें जिन पर कि यह उद्गृहीत किया जाना है, समय-समय पर अवधारित कर सकेगा ।

39च. करों के संग्रहण के लिए नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, भू-राजस्व की वसूली के लिए उपलभ्य किसी प्रक्रिया द्वारा ऐसे करों के संग्रहण की व्यवस्था के लिए और उनके उपयोजन का और लेखा-जोखा देने के ढंग का विनियमन करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगी ।

39छ. [विधिमान्यकरण खंड ।] संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित ।

अवैतनिक पुलिस अधिकारी

40. राज्य सरकार पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकेगी—राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझे तो, कोई शक्तियां जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी, किसी व्यक्ति को प्रदान कर सकेगी [2][और इस प्रकार प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को वापस ले सकेगी]।

खोज-चिह्नों संबंधी विधि

41. खोजी खोज लगाने में सहायता मांग सकेंगे—जब कोई अपराध किया जाता है या किया जा चुका है या उचित रूप से यह समझा जा सकता है कि कोई अपराध किया गया है तथा जिन व्यक्तियों के बारे में उचित रूप से यह समझा जाता है कि उन्होंने ऐसा अपराध किया है, उनके, अथवा ऐसे पशु या अन्य सम्पत्ति के जिसके बारे में उचित रूप से यह समझा जाता है कि वह ऐसे अपराध से संबंधित है, खोज-चिह्नों का अनुसरण गांव के ठीक पास के स्थल पर किया जाता है तब ऐसे खोज-चिह्नों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति मुखिया अथवा गांव के चौकीदार से, जो उस गांव में हों, मांग कर सकेगा कि वह खोज-चिह्नों के सहारे खोज करने में सहायता करें ।

42. सहायता रोकने के लिए या अपराध या निकल भागने पर मौनानुकूलन के लिए शास्ति—जुर्माने की सीमा—यदि ऐसा मुखिया या चौकीदार तुरन्त ऐसी सहायता नहीं देता है या यदि ऐसे गांव के निवासी अपराधियों के लिए अपने मकानों में तलाशी लेने के लिए पूर्ण अवसर नहीं देते हैं या यदि मामले की परिस्थितियों से यह विश्वास करने के लिए ठीक कारण प्रतीत होता है कि ऐसे गांव के निवासी या उनमें से कोई अपराध पर या अपराधियों के निकल भागने पर मौनानुकूलन कर रहे थे, और ऐसे अपराधी गांव के परे खोजे नहीं जा सकते, तो जिला मजिस्ट्रेट, खण्ड-आयुक्त की पूर्व अनुमति से ऐसे गांव पर पांच सौ रुपए से अनधिक तक का जुर्माना कर सकेगा सिवाय उस दशा के जहां चुराई हुई सम्पत्ति पांच सौ रुपए से अधिक मूल्य की है, वहां जुर्माना ऐसी सम्पत्ति के मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

उच्च न्यायालय में अपील—इस धारा के अधीन सभी दोषसिद्धियों के विरुद्ध अपील पंजाब उच्च न्यायालय में की जा सकेगी ।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के अध्यधीन" शब्द निरसित किए गए ।
2. 1878 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(खोज-चिह्नों संबंधी विधि । गो-वध । सशस्त्र व्यक्ति और विदेशी आवारागर्द । प्रकीर्ण ।)

क्षतिग्रस्त पक्षकारों को जुर्माना और खोजी को फीस दी जा सकेगी—मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को ऐसी क्षति के प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा; और खोजी के माध्यम से प्राप्त चुराई गई सम्पत्ति की दशा में यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति उसके स्वामी को तब तक प्रत्यावर्तित नहीं की जाएगी जब तक कि वह ऐसे खोजी को चुराई गई सम्पत्ति के मूल्य के चौथे भाग से अनधिक ऐसी फीस, जैसी कि उक्त मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, संदत्त नहीं कर देता ।

गो-वध

43. **गो-वध और गो-मांस के विक्रय पर नियंत्रण**—या तो साधारणत: या किसी विशिष्ट उदाहरण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर [1]*** विहित नियमों के अधीन के सिवाय गो-वध और गो-मांस विक्रय नहीं किया जाएगा ।

सशस्त्र व्यक्ति और विदेशी आवारागर्द

44. **नगरों में सशस्त्र व्यक्तियों के समूहों के प्रवेश पर नियंत्रण**—या तो साधारणत: या विशिष्ट उदाहरण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर [1]*** विहित नियमों के अधीन सिवाय, सशस्त्र व्यक्तियों का कोई समूह शहर या नगर में प्रवेश नहीं करेगा ।

45. **विदेशी आवारागर्दों के बारे में जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियां**—यदि जिला मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि विदेशी आवारागर्दों के किसी समूह से शांति भंग किए जाने या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन में कोई अपराध किए जाने की संभावना है, तो वह ऐसे समूह को अपने जिले में प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा या यदि वे उसके जिले में पहले से ही हैं तो उनसे निर्धारित समय के अन्दर चले जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

46. **मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन न करने वाले समूह की निगरानी, इत्यादि**—यदि ऐसा कोई समूह विहित अवधि के अन्दर उक्त मजिस्ट्रेट के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह इस मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा और राज्य सरकार ऐसे समूह की निगरानी, नियंत्रण या विवासन के लिए, ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह उचित समझे ।

प्रकीर्ण

47. **बोया या मशक पर सरिताओं को पार करना**—या तो साधारणत: या किसी विशिष्ट उदाहरण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर [1]*** विहित नियमों के अधीन के सिवाय कोई व्यक्ति बोया या हवाभरी खाल (मशक) से किसी नदी या सरिता को पार नहीं करेगा, न कोई बोया या मशक किसी नदी या सरिता को पार करने के प्रयोजनार्थ अपने कब्जे या अभिरक्षा में रखेगा ।

48. **सरकारी भूमि के चरागाह या उसकी प्राकृतिक पैदावार का उपयोग**—या तो साधारणत: या किसी विशिष्ट उदाहरण में सरकार की सहमति और समय-समय पर [2][उसके] द्वारा विहित नियमों के अधीन के सिवाय कोई व्यक्ति चरागाह या किसी ऐसी भूमि की, जो सरकारी सम्पत्ति है, अन्य प्राकृतिक पैदावार का उपयोग नहीं करेगा ।

49. **[अफीम का उगाना, बेचना या रखना ।]** अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[3][50. **धारा 43 से 48 में उल्लिखित मामलों के बारे में नियम बनाने की शक्ति**—राज्य सरकार [4][धारा 43 से 48] (दोनों धाराओं सहित) में उल्लिखित ममालों के बारे में समय-समय पर नियम बना सकेगी ।

विद्यमान नियम—ऐसे मामलों पर सभी विद्यमान नियम जो कि इस धारा के अधीन, यदि यह प्रवृत्त होती, बनाए गए होते, इसके अधीन बनाए गए समझे जाएंगे ।

50क. **इसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की विधिमान्यता की शर्तें**—[1][इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम तभी विधिमान्य होंगे जबकि] :—

(क) वे उन [2][राज्यक्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार है] तत्समय प्रवृत्त विधियों से सुसंगत हैं;

1. 1878 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा शब्द "सम्मति से और" निरसित किए गए ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "सरकार जिसके प्रयोजनार्थ भूमि हिज मजेस्टी में निहित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1875 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा मूल धारा 50 के स्थान पर धारा 50, 50क और 50ख प्रतिस्थापित ।
4. 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा "धारा तैंतालीस से उनचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "इसके पश्चात् स्थानीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन, बनाए गए सभी नियम सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन होंगे और ऐसे कोई नियम विधिमान्य नहीं होंगे जब तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "पंजाब और दिल्ली राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) वे राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं ।

1* * * * *

2[50ख. नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति––इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]]

3[51. नियमों और आदेशों का पुनः प्रकाशन—सभी नियम, जिनको राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जारी करने के लिए सशक्त है और पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे पुनः प्रकाशन पर, उनकी विषय-वस्तु के अनुसार क्रमबद्ध किए जाएंगे और ऐसे सभी परिवर्तन या संशोधन, जो कि उसके ठीक पूर्ववर्ती प्रकाशन से किए जा चुके हों या आवश्यक या उपयुक्त हो गए हों वहां सन्निविष्ट किए जाएंगे और ऐसे पुनः प्रकाशन पर पहले जारी किए गए ऐसे सभी नियम और परिपत्र निरसित हो जाएंगे ।]

52. [सरकार द्वारा दिए गए अग्रिमों की वसूली] नारदर्न इंडिया तकावी ऐक्ट, 1879 (1879 का 10) द्वारा निरसित ।

4अनुसूची 1

अधिनियमितियां जो प्रवृत्त घोषित की गईं

स्पष्टीकरण:— यह अनुसूची उन अधिनियमों के प्रति जो स्पष्टतः पंजाब में लागू होते हैं या जिसका विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजाब पर किया गया है, निर्देश नहीं करती है ।

सं० और वर्ष	नाम	परिमाण जहां तक अधिनियमिति प्रवृत्त है
1	2	3
5 1798 का विनियम 1	बय-बिल वफा के विलेखों या उसी प्रकार के अन्य विलेखों के अधीन भूमि के सशर्त विक्रय में कपट और अन्याय का निवारण करने के लिए विनियम ।	ऐसे भाग को छोड़कर जो ब्याज से संबंधित है, सम्पूर्ण ।
6*	* *	* *
5 1806 का विनियम 17	1793 के विनियम सं० 15 में अन्तर्विष्ट भावी ऋणों पर ब्याज की दरों और उससे संबंधित उपबंधों का बनारस प्रान्त पर विस्तार करने के लिए विनियम ; और बय-बिल वफा कटकबाला या वैसे ही नाम के अन्य विलेखों के अधीन भूमि के बंधकों या सशर्त विक्रयों के मोचन के लिए 1798 के विनियम 1 और 1803 के विनियम 34 द्वारा नियत अवधि के साधारण विस्तारण के लिए भी विनियम ।	धाराएं 7 और 8

1. 1914 के अधिनियम सं० 4 द्वारा खण्ड (ग) निरसित किया गया ।
2. 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा धारा 50ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1910 के पंजाब अधिनियम सं० 1 द्वारा मूल धारा 51 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1872 के अधिनियम सं० 4 का उतना भाग, जो 1817 के बंगाल विनियम सं० 5 और 1825 के बंगाल विनियम सं० 20 और 1858 के अधिनियम सं० 40 और 1861 के अधिनियम सं० 17 से संबंधित था, क्रमशः 1878 के अधिनियम सं० 6, 1882 के अधिनियम सं० 10, 1890 के अधिनियम सं० 8 और 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा निरसित किया गया, इस अनुसूची में उन विनियमों और अधिनियमों के प्रति निर्देशों का लोप किया गया है ।
5. देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धाराएं 1, 2 और अनुसूची ।
6. पहली अनुसूची का उतना भाग, जो बंगाल स्टेट आफेन्सेज रेगुलेशन, 1804 (1804 का 10) से संबंधित है, 1922 के अधिनियम सं० 4 द्वारा निरसित किया गया ।

1	2	3
1*	*	*
1825 का विनियम 11	जलोढ़ से या समुद्र या नदी द्वारा त्याग से प्राप्त भूमि के दावों को अवधारित करने में अनुपालन किए जाने वाले नियमों की घोषणा करने के के लिए विनियम।	सम्पूर्ण
2*	*	*
	सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा भारत सरकार के सचिव को दिए गए पत्र सं० 1789 तारीख 21-5-1855 में मंजूर किए गए पंजाब राज्यक्षेत्रों के पहाड़ी जिलों में जंगलों और वनों के संरक्षण के लिए नियम।	सम्पूर्ण

अनुसूची 2
[अधिनियमितियां निरसित]

[द्वितीय निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 17) द्वारा निरसित।]

---

1. 1953 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा 1818 के बंगाल विनियम सं० 3 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया गया।

2. 1872 के अधिनियम सं० 4 का उतना भाग, जो 1817 के बंगाल विनियम सं० 5 और 1825 के बंगाल विनियम सं० 20 और 1858 के अधिनियम सं० 40 और 1861 के अधिनियम सं० 17 से संबंधित था, क्रमशः 1878 के अधिनियम सं० 6, 1882 के अधिनियम सं० 10, 1890 के अधिनियम सं० 8 और 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा निरसित किया गया, इस अनुसूची में उन विनियमों और अधिनियमों के प्रति निर्देशों का लोप किया गया है

54—304 M of L&J/ND/89

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य उन शंकाओं को दूर करना है जो इस समय पंजाब सिविल संहिता, बंगाल विनियमों, विभिन्न प्रशासनिक नियमों और आदेशों के बारे में विद्यमान है और जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट के अधीन विधि का बल अर्जित कर लिया है। यह, सुस्पष्टत: यह अधिकथित करते हुए कि गवर्नर जनरल के कौन-से अधिनियम प्रांत में प्रवृत्त हैं और पंजाब सिविल संहिता, सरकार के विनियमों या आदेशों के उन भागों को, जिन्हें रखना वांछनीय समझा गया है, अधिक प्रमित और असंदिग्ध भाषा में पुन: अधिनियमित करके, किया गया है।

ज० एफ० स्टीफन

शिमला;
5 सितंबर, 1871

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

धाराओं का क्रम

उद्देशिका पृष्ठ

धाराएं

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम 219
विस्तार 219
प्रारम्भ 219
व्यावृत्ति 219
2. निर्वचन खण्ड 219

अध्याय 1

प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में

3. प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण 220
4. संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है 220
5 प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण 220
6. प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है 221
7. प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए 221
8. शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण 221
9. वचन, अभिव्यक्त और विवक्षित 221

अध्याय 2

संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में

10. कौन से करार संविदाएं हैं 221
11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है 221
12. संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थचित्त क्या है 222
13. "सम्मति" की परिभाषा 222
14. "स्वतंत्र सम्मति" की परिभाषा 222
15. "प्रपीड़न" की परिभाषा 222
16. "असम्यक् असर" की परिभाषा 222
17. "कपट" की परिभाषा 223
18. "दुर्व्यपदेशन" की परिभाषा 224
19. स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता 224
19क. असम्यक् असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति 225
20. जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात सम्बन्धी भूल में हों तब करार शून्य है . . . 225
21. विधि के बारे की भूलों का प्रभाव 225
22. एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा 226
23. कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं 226

धाराएं पृष्ठ

शून्य करार

24. यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधिविरुध्द हों तो करार शून्य होंगे 227
25. प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जब कि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो 227
या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो . . 227
26. विवाह का अवरोधक करार शून्य है 228
27. व्यापार का अवरोधक करार शून्य है 228
जिस कारबार की गुडविल बेच दी गई है, उस कारबार को न चलाने के करार की व्यावृत्ति . 228
28. विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य हैं 228
जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति . 228
जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति . . 228
29. करार अनिश्चितता के कारण शून्य हैं 228
30. पंद्यम् के तौर के करार शून्य हैं 229
घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिकों के पक्ष में अपवाद 229
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294क पर प्रभाव न पड़ेगा 229

अध्याय 3

समाश्रित संविदाओं के विषय में

31. "समाश्रित संविदा" की परिभाषा 229
32. ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हों . . . 229
33. उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हों . . . 230
34. जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असम्भव समझी जाएगी 230
35. संविदाएं, जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो कब शून्य हो जाती हैं विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा 230
36. असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य हैं 230

अध्याय 4

संविदाओं के पालन के विषय में

संविदाएं जिनका पालन करना होगा

37. संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता 231
38. पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने से इन्कार का प्रभाव 231
39. वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इंकार का प्रभाव 231

संविदा का पालन किसे करना होगा

40. वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है 232
41. अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहीत करने का प्रभाव 232
42. संयुक्त दायित्वों का न्यागमन 232
43. संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा . . . 232
हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा 232
अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बंटाना 232
44. संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव 233
45. संयुक्त अधिकारों का न्यागमन 233

पालन के लिए समय और स्थान

धाराएं		पृष्ठ
46.	वचन पालन के समय, जहां कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो .	233
47.	वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां कि पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो	233
48.	अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा . .	233
49.	वचन के पालन के लिए स्थान, जहां कि पालन के लिए, आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो	234
50.	वचनगृहिता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन . . .	234

व्यतिकारी वचनों का पालन

51.	वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचनगृहीता पालन के लिए तैयार और रजामन्द न हो	234
52.	व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम	234
53.	जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व	235
54.	व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में, उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए	235
55.	उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव . .	235
	ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है	236
	करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव . . .	236
56.	असम्भव कार्य करने का करार	236
	उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात् असम्भव या विधिविरुद्ध हो जाए . .	236
	ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असम्भव या विधिविरुद्ध होना ज्ञात हो .	236
57.	वैध बातों, और अन्य ऐसी बातों का भी जो अवैध हों, करने का व्यतिकारी वचन . .	236
58.	अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो	237

संदायों का विनियोग

59.	जहां कि वह ऋण उपदर्शित हो, जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपयोजन .	237
60.	जहां कि वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदाय का उपयोजन .	237
61.	जहां कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का उपयोजन .	237

वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है

62.	संविदा के नवीयन, विखण्डन और परिवर्तन का प्रभाव	237
63.	वचनगृहीता वचन के पालन से अधिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा . .	237
64.	शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन के परिणाम	238
65.	उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया हो	238
66.	शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति . . .	238
67.	पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनगृहीता की उपेक्षा का प्रभाव .	239

अध्याय 5

संविदा द्वारा सर्जित सम्बन्धों के सदृश कतिपय सम्बन्धों के विषय में

68.	संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा .	239
69.	उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है	239
70.	अनानुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता	239

धाराएं पृष्ठ

71. माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व 240

72. उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है 240

अध्याय 6

संविदा-भंग के परिणामों के विषय में

73. संविदा-भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर 240

संविदा द्वारा सर्जित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर . 240

74. जहां कि शास्ति का अनुबन्धन है वहां संविदा-भंग के लिए प्रतिकर 242

75. संविदा को अधिकारपूर्वक विखण्डित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है . . 243

अध्याय 7

माल का विक्रय

76.–123. [निरसित ।] 243

अध्याय 8

क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में

124 "क्षतिपूर्ति की संविदा" की परिभाषा 244

125. क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जब कि उस पर वाद लाया जाए 244

126. "प्रत्याभूति की संविदा", "प्रतिभू", "मूलऋणी" और "लेनदार" 244

127. प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल 244

128. प्रतिभू का दायित्व 244

129. "चलत प्रत्याभूति" 245

130. चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण 245

131. चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण 245

132. प्रथमतः दायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच के इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा 245

133. संविदा के निबन्धनों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन 246

134. मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन 246

135. प्रतिभू का उन्मोचन जब कि लेनदार मूलऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है 247

136. जब कि मूल ऋणी को समय देने का करार पर-व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता 247

137. लेनदार का वाद लाने से प्रविरत रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता . . . 247

138. एक सह-प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती 247

139. लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से, जिससे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास होता है, प्रतिभू का उन्मोचन 247

140. संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार 248

141. लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार 248

142. दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी 248

143. छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी 248

144. इस संविदा पर प्रत्याभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह-प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता 248

145. प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन 248

146. सह-प्रतिभू समानतः अभिदाय करने के दायी होते हैं 249

147. विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह-प्रतिभूओं का दायित्व 249

अध्याय 9

उपनिधान के विषय में

धाराएं		पृष्ठ
148.	"उपनिधान", "उपनिधाता" और "उपनिहिती" की परिभाषा	250
149.	उपनिहिती को परिदान किस प्रकार किया जाए	250
150.	उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य	250
151.	उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता	250
152.	उपनिहित चीज की हानि, आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है	250
153.	उपनिहिती के ऐसे कार्य द्वारा, जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यावसान	250
154.	उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिती का दायित्व	251
155.	उपनिहिती के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव	251
156.	जबकि माल पृथक् किए जा सकते हों तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव	251
157.	जबकि माल पृथक् न किए जा सकते हों तब उपनिहिती की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव	251
158.	आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय	251
159.	आनुग्रहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन	251
160.	समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी	252
161.	जबकि माल सम्यक् रूप से वापस न किया जाए तब उपनिहिती का उत्तरदायित्व	252
162.	आनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान	252
163.	उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार	252
164.	उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व	252
165.	कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान	252
166.	बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिदान करने पर उपनिहिती उत्तरदायी न होगा	252
167.	उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर-व्यक्ति का अधिकार	252
168.	माल पड़ा पाने वाले का अधिकार। वह प्रस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा	252
169.	सामान्यतया विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा	252
170.	उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार	253
171.	बैंकरों, फेक्टरों, घाटवालों, अटर्नियों और बीमा-दलालों का साधारण धारणाधिकार	253

गिरवीरूपी उपनिधान

172.	"गिरवी", "पणयमकार" और "पणयमदार" की परिभाषा	253
173.	पणयमदार का प्रतिधारण का अधिकार	253
174.	जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पणयमदार उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा। पश्चात्वर्ती उधारों के बारे में उपधारणा	253
175.	उपगत गैर-मामूली व्ययों के बारे में पणयमदार का अधिकार	253
176.	पणयमदार का अधिकार जहां कि पणयमकार व्यतिक्रम करता है	253
177.	व्यतिक्रम करने वाले पणयमकार का मोचनाधिकार	253
178.	वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी	254
178क.	शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी	254
179.	गिरवी, जहां कि पणयमकार केवल परिसीमित हित रखता है	254

उपनिहितियों या उपनिधाताओं द्वारा दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद

180.	उपनिधाता या उपनिहिती द्वारा दोषकर्ता के विरुद्ध वाद	254
181.	ऐसे वादों से अभिप्राप्त अनुतोष या प्रतिकर का प्रभाजन	254

अध्याय 10

अभिकरण

अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार

धाराएं पृष्ठ

182. "अभिकर्ता" और "मालिक" की परिभाषा 254
183. अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा 254
184. अभिकर्ता कौन हो सकेगा 254
185. प्रतिफल आवश्यक नहीं है 254
186. अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा 254
187. अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं 255
188. अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार 255
189. आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार 255

उपाभिकर्ता

190. अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता 256
191. "उपाभिकर्ता" की परिभाषा 256
192. उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व . . . 256
उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व 256
उपाभिकर्ता का उत्तरदायित्व 256
193. प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व . . . 256
194. अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का सम्बन्ध 256
195. ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य 256

अनुसमर्थन

196. किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार . 256
अनुसमर्थन का प्रभाव
197. अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा 256
198. विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है 257
199. जो अप्राधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव . . 257
200. अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर-व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता . . . 257

प्राधिकार का प्रतिसंहरण

201. अभिकरण का पर्यवसान 257
202. जहां कि अभिकर्ता का विषयवस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का पर्यवसान . . 257
203. मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा 257
204. प्रतिसंहरण जहां कि प्रधिकार का भागत: प्रयोग कर लिया गया है 258
205. मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर . . . 258
206. प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना 258
207. प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा 258
208. अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के सम्बन्ध में और कब पर-व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी होता है 258
209. मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य . . 259
210. उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान 259

धाराएं पृष्ठ

मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य

211. मालिक के कारबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य 259
212. अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता 259
213. अभिकर्ता के लेखा 260
214. मालिक से सम्पर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य 260
215. मालिक का अधिकार जब कि अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में मालिक की सम्मति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है 260
216. अभिकरण के कारबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार 260
217. अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार 260
218. मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य . . . 260
219. अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है 260
220. अवचारित कारबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है . . . 260
221. मालिक की सम्पत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार 261

अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य

222. विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी . . 261
223. सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी . . 261
224. आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व . . . 262
225. मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर . . . 262

पर-व्यक्तियों से की गई संविदाओं पर अभिकरण का प्रभाव

226. अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम 262
227. मालिक कहां तक आबद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है . . 262
228. मालिक आबद्ध न होगा जहां कि अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक् नहीं किया जा सकता 262
229. अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम 263
230. मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न उनसे आबद्ध ही होता है 263
तत्प्रतिकूल संविदा की उपधारणा 263
231. अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार 263
232. अभिकर्ता को मालिक समझ कर उसके साथ की गई संविदा का पालन . . . 263
233. वैयक्तिक रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार . . . 264
234. अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा 264
235. अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व 264
236. मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है . 264
237. यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्राधिकृत थे
238. अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव 264

अध्याय 11

भागीदारी के विषय में

239-266. [निरसित ।] 264
अनुसूची (निरसित ।] 264-269